संख्या-348/2021/393ई/23-11-2021-1/1(32)/2019

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-15255(2)बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 25-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण के अधोलिखित 02 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 1222.64 लाख (रू0 बारह करोड़ बाईस लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत	अब तक आवंटन/ व्यय	अवमुक्त धनराशि		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर प्रा0ख0	जनपद गोरखपुर में भीटी बासगांव गोला (राज्य मार्ग संख्या-146) किमी0 8(600) से 11(400) एवं 26(170) से 41(300) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	3290.56	400.00	648.16	174.48	**822.64**
2	नि0ख0-1 बांदा	जनपद बांदा में राज्य मार्ग संख्या-133, बांदा-बिसण्डा मार्ग के किमी0 1 से 27(700) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	5056.63	500.00	315.16	84.84	**400.00**
योग:-					**963.32**	**259.32**	**1222.64**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग किये जाने हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की प्रभावी चुनाव आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो।

(4) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गो के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2020/बी-1-765/दस-2020-231/2020 दिनांक 23-12-2020 एवं शासनादेश संख्या-04/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07-04-2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-348/2021/393ई(1)/23-11-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in